प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

05 अप्रैल 2017

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन "अनुपालन लेखापरीक्षा आपत्तियां" संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, संघ सरकार (वाणिज्यिक) 2017 की संख्या 9, अनुपालन लेखापरीक्षा आपत्तियां दिनांक 05 अप्रैल 2017 को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुपालन लेखापरीक्षा आपत्तियों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं. 9 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) या निगमों को अधिशासित करने वाली सांविधियों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा केंद्रीय सरकार की कम्पनियों और निगमों के लेखाओं तथा अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप पाए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल किए गए है।

2. इस प्रतिवेदन में 17 मंत्रालयों/विभागों के अधीन 36 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज)से संबंधित 57 पृथक आपत्तियां शामिल है। लेखापरीक्षा आपत्तियों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 8,375.13 करोड़ हैं। इस प्रतिवेदन में हकदारियों के भुगतान में अनियमितताओं (₹ 108.50 करोड़) तथा वसूलियों (₹ 66.28 करोड़) तथा लेखापरीक्षा के बताने पर सीपीएसईज द्वारा सुधार/परिशोधन पर एक अध्याय भी शामिल हैं।

3. इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफों की मुख्य बातें निम्नानुसार है:

ओएनजीसी कैम्पोस लिमिटदा (ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की सहायक कंपनी) द्वारा ड्रिलिंग शुरू करने से 90 दिन पहले प्रचालनात्मक सुरक्षा दस्तावेजों प्रस्तुत करने, जैसा अपेक्षित था, में विफलता के कारण रिग 118 दिनों तक बेकार पड़े रहे तथा इसके परिणामस्वरूप जून से अक्तूबर 2011 के दौरान ₹ 134.73 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(पैरा 10.10)

स्टील ऑथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा इसके मेघाहटुबुरू तथा किरिबुरू की लौह अयस्क खानों पर प्रतिष्ठापित किए गए तोलसेतु गैर-कार्यात्मक बने रहे क्योंकि ये तोलसेतु या तो रेलवे के विनिर्देशों के अनुसार नहीं थे और या रेलवे द्वारा इनकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। सेल ने अनुमानित आधार पर खानों में वैगनों/रैंकों का लदान जारी रखा तथा कंपनी को लौह अयस्क के अधिक/कम लदान पर शास्ति/निष्फल मालभाड़ा पर व्यय करना पड़ा जो 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 101.97 करोड़ बनता हैं। **(पैरा 15.4)**

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने या तो घरेलू स्रोतों के माध्यम से या आयात द्वारा स्टील निर्माण हेतु सामग्रियों की खरीद करता हैं। लेखापरीक्षा ने पांच स्टील संयंत्रों के कुल खरीद मूल्य (कोयला को छोड़कर) के 63.19 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले खरीद आदेशों तथा तीन वर्षों को कवर करते हुए (2012-15) कंपनी के कार्पोरेट सामग्री प्रबंधन ग्रुप की जांच की थी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि सेल ने खुली/वैश्विक निविदाओं का सीमित उपयोग किया, खरीद के कुल मूल्य का 24.4 प्रतिशत लिमिटेड निविदा आधार पर किया गया था तथा दूसरा 29 प्रतिशत एकल निविदा आधार पर किया गया था। यद्यपि संयंत्रों की ₹ 2 करोड़ तक की वार्षिक खरीदें लगभग ₹ 1851 करोड़ में की गई थी, ऐसे मामलों से निपटने के लिए नियंत्रण अपर्याप्त थे तथा कोई समान प्रक्रिया नहीं थी। सभी स्टील संयंत्रों में पालन की जाने वाली खरीद प्रकियाओं में एकरूपता की कमी थी। एकल निविदा आधार पर महंगी खरीदों के मामले देखे गए थे। कंपनी ने काफी अधिक लागत पर लॉ सिलिका लाइम स्टोन की खरीद की थी तथा 2012-16 के दौरान की गई खरीदों पर ₹ 484.15 करोड़ का अधिक व्यय किया था। राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) ने दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम से डोलोमाइट खरीदा था तथा इस एकमात्र स्रोत पर निर्भरता के कारण उसे ₹ 88.04 करोड़ का अधिक व्यय करना पड़ा था। बोकारों स्टील लिमिटेड (बीएसएल) ने लौह अयस्क लम्प तथा सिंतर के एवजी के रूप में एक पीएसयू से तीन गुणा महंगे पैलेटों का उपयोग करके ₹ 235 करोड़ का अधिक परिहार्य व्यय किया। कम्पनी ने फिर से पैलटों के परिहार्य उपयोग का सहारा लिया तथा ₹ 25.14 करोड़ का अधिक व्यय किया। बीएसएल ने सस्ते रेल मालभाड़ा के बजाय डोलोमाइट चिप्स के लिए सड़क परिवहन के विकल्प को चुनकर ₹ 8.41 करोड़ का अधिक व्यय किया था।

(पैरा 15.9)

दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी) ने फिलिपिन्स में जीएसडब्ल्यूआईआई के इस्पात संयंत्र में कच्चे माल की आपूर्ति हेतु मैसर्स ग्लोबल स्टील वर्क्स इंटरनेशनल इंक (जीएसडब्ल्यूआईआई) तथा जीएसएचएल (जीएसडब्ल्यूआईआई की अम्ब्रेला कंपनी) के साथ त्रिपक्षीय करार किया (4 अप्रैल 2005)। एसटीसी के ट्रेडिंग दिशानिर्देशों के अननुपालन, ऋण जोखिम के बहुत अधिक निर्धारण, संयंत्र की पूरानी प्रास्थिति पर ध्यान न देने, जीएसडब्ल्यूआईआई के संयंत्र में पड़ी सामग्री पर सहायक प्रबंधन एजेंसी के माध्यम से प्रभावी नियंत्रण रखने में विफलता, नकद दो और माल लो आधार पर (जैसाकि निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है) सामग्री को बेचने में विफलता, पार्टी के साथ परिहार्य समझौता करार आदि के परिणामस्वरूप ₹ 2,101.45 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ जिसमें ₹ 1,129.15 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 220.99 करोड़ का अतिरिक्त ट्रेड लाभ शामिल है।

(पैरा 4.1)

नेशनल हाईवेज ऑथारिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) फीस अधिसूचना के अनुमोदन और जारी करने में विलंब (₹ 301.80 करोड़), टोल प्रचालनों को शुरू करने में विलंब (₹ 204.87 करोड़), उपभोक्ता फीस दरों के संशोधन में विलंब (₹ 141.25 करोड़) और फीस अधिसूचना जारी करने में अन्य प्रक्रियात्मक चूकों (₹ 7.72 करोड़) के कारण विभिन्न टोल प्लाजों पर टोल की वसूली नहीं कर सका। लेखापरीक्षा ने टोल संग्रहण करने वाली एजेंसियों को नियुक्त करने हेतु अप्रभावी बोली प्रक्रिया के कारण टोल राजस्व की हानि देखी (₹ 26.35 करोड़)। एनएचएआई ने परियोजना वार तुलन पत्र तथा नकद प्रवाह के रख-रखाव के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया था।

(पैरा 12.4)

नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रियायत ग्राहियों को अनुचित लाभ दिया क्योंकि यह निष्पादन प्रतिभूति के रूप में प्राप्त बैक प्रत्याभूति को भुनाने के लिए समय पर उपाय करने और करार को समाप्त करने में विफल रही जिसके कारण अगस्त 2016 तक ₹ 209.20 करोड़ की देयताएं एकत्र हो गई जिसके प्रति बैंक प्रत्याभूति के रूप में उपलब्ध निष्पादन प्रतिभूति केवल ₹ 48.60 करोड़ थी।

(पैरा 12.1)

हुडको ने फरवरी 2007 में मै. नागार्जुन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड को ऋण देने से इन्कार कर दिया क्योंकि इसके आंतरिक दिशानिर्देश एजेंसियों को ऋण संस्वीकृत करने की अनुमति नहीं देते

यदि पुनर्भुगतान का उनका पिछला रिकोर्ड अच्छा न हो तथा परियोजना की दीर्घावधि व्यवहार्यता के संदर्भ में मुद्दे मौजूद हो। जुलाई 2007 में हुडको ने समान उधारकर्ता/प्रमोटर को ऋण संस्वीकृत कर दिया या यद्यपि उनके पिछले मुद्दों का समाधान नहीं हुआ था। प्रमोटर अपेक्षित इक्विटी लाने में विफल हो गया तथा रिफाइनरी परियोजना को वित्तीय संवरण नहीं मिला जिसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 2011 में परियोजना को रोकना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू नीतिगत निवेशकों को लाने के प्रयास भी निष्फल रहे। अनुमानित परियोजना लागत में फरवरी 2007 में ₹ 4,790 करोड़ से अगस्त 2015 ₹ 18,830 करोड़ तक कई गुणा वृद्धि हुई थी। वर्तमान समय में परियोजना की व्यवहार्यता संदेहास्पद है तथा हडको को ₹ 628.47 करोड़ (30 जून 2016 तक मूलधन ₹ 349.88 करोड़ तथा ब्याज ₹ 278.59 करोड़) की संभावित हानि का सामना करना पड़ा।

(पैरा 9.1)

उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (नेडफी/कंपनी) द्वारा 1995 में ऋणों का संवितरण को, 2012-13 में ₹ 348.73 करोड़ से घटाकर 2015-16 में ₹ 302.99 करोड हो गया, जबकि इसी अवधि में गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एन.पी.ए.) 7.24 प्रतिशत से बढ़कर 17.54 प्रतिशत हुई। लेखापरीक्षा ने देखा की बहुत सारे मामलों में उधारकर्ता के ऋण प्रस्तावों की विधिवत सचेतना में कमियां देखी। परियोजनाओं के मूल्यांकन के समय पर उद्यम और कंपनी के विशिष्ट मुद्दों पर उचित विचार नहीं किया गया जिससे अव्यवहार्य परियोजनाओं का वित्तपोषण हुआ, उधारकर्ता द्वारा सतत् चूक और ऋण खाते अंततः एन.पी.ए. हो गए। नये ऋण मंजूर और/या संवितरित किये गए जबकि उधारकर्ता ने पूर्व ऋणों को नहीं चुकाया था। समूह से संबंधित कंपनियों को कंपनी तथा अन्य वित्तीयसंस्थानों के साथ उनके समग्र जोखिम, और उस समूह की कंपनियों का वर्तमान ऋण के किश्तों की अदायगी के पिछले रिकॉर्ड पर विचार किए बिना ऋण मंजूर किए गए। कानूनी कार्यवाही आरंभ करने के लिए एन.पी.ए. खातों के हस्तांतरण में विलंब तथा मामला दायर करने में भी विलंब देखे गए थे। इसने बकाया वसूली प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से विलम्बित करते हुए कंपनी के हितों को हानि पहुंचाई।

(पैरा 5.1)

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलिमय कार्पोरेशन लिमिटेड ने राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण (आरजीजीएलवी) के वितरकों को तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की खुदरा बिक्री कीमत की सूचना देते समय सुपुर्दगी प्रभारों को छोड़ा नहीं था। इसके परिणामस्वरूप आरजीजीएलवी उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ा तथा अक्तूबर 2012 से मार्च 2016 की अवधि के लिए आरजीजीएलवी वितरणों को ₹ 168.04 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ मिला।

(पैरा 10.3)

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा इसकी सहायक कंपनियां ई-नीलामी के द्वारा गैर-विनियमित क्षेत्रों को जी 6 ग्रेड नोन कोकिंग कोल की बिक्री हेतु आरक्षित कीमत के सही निर्धारण हेतु सम्यक परिश्रम में विफल रही। यद्यपि, जी 6 ग्रेड कोयला जी 7 ग्रेड से उत्तम था, फिर भी जी 6 ग्रेड की आरक्षित कीमत को सीआईएल की अधिसूचना के आधार पर जी 7 ग्रेड से कम निर्धारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2012 से सितम्बर 2015 की अवधि के दौरान ₹ 68.16 करोड़ के राजस्व की परिहार्य हानि हुई थी।

(पैरा 3.2)

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ठेका की शर्तों का उल्लंघन करते हुए ठेकेदार को ऋण सुविधाएं देकर अनुचित लाभ प्रदान किया जो बकाया राशि के गैर वसूली का कारण बनी। इसके अलावा, ठेका की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद विज्ञापन साइटों को खाली करने के लिए नोटिस जारी नहीं करने पर प्राधिकरण को ₹ 41.68 करोड़ के राजस्व हानि उठानी पड़ी।

(पैरा 2.1)

2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 की समाप्ति पर कैनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड के गैर-निष्पादन परिसम्पति लेखों की जांच से निम्नलिखित का पता चला:

- ₹ 35.29 करोड़ तक की फैक्टरिंग सीमा ग्राहकों को संस्वीकृत/वितरित की गई थीं जो पात्रता से अधिक थी।

- फैक्टरिंग सीमाएं अन्य फैक्टर्स/बैंकों से ग्राहक द्वारा प्राप्त की गई सीमाओं पर विचार किए बिना संस्वीकृत की गयी थीं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 71 करोड़ की अधिक सीमाएं संस्वीकृत हुई थीं।

- 4 लेखों में मौजूदा संस्वीकृत फैक्टरिंग सीमाएं जारी रही हालांकि कंपनी को ग्राहक की खराब वित्तीय हालात अनियमित प्रचालनों तथा प्रारम्भिक रूग्णता के बारे में ज्ञात था। इन मामलों में ₹ 14.88 करोड़ की राशि का संवितरण किया गया था।

(पैरा 7.1)

मैसर्स श्री लक्ष्मी डिफैंस सॉल्यूशन लिमिटेड (एसएलडीएसएल) को ऋण संस्वीकृति/संवितरित करने से पूर्व आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड यथोचित परिश्रम करने में विफल रहा क्योंकि ऋण की संस्वीकृति इस तथ्य के बावजूद दी गयी थी कि एसएलडीएसएल की होल्डिंग

कंपनी (श्री लक्ष्मी कॉट्सिन लिमिटेड) जिनके शेयर ऋण हेतू प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखे गये थे, आईएफसीआई लिमिटेड को (कंपनी का मूल संगठन) मौजूदा ऋण चुकाने में चूक गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.92 करोड़ के प्राप्यों की वसूली नहीं हुई।

(पैरा 7.2)

ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआई) द्वारा 2010-11 से 2014-15 की अवधि हेतु ड्रेजरों के प्रचालन तथा रख-रखाव की लेखापरीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- इन्नोर पोर्ट लिमिटेड के चरण-II कैपिटल ड्रेजिंग कार्य पर बोली-पूर्व सर्वेक्षण न करने, ड्रेजरों के कम-निष्पादन, ड्रेजरों के लगाने की खराब योजना तथा किए गए कार्य हेतु कम बिलिंग के कारण ₹ 155.39 करोड़ की हानि हुई।

- कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के साथ 2011-15 की अवधि हेतु किए गए ठेका के संदर्भ में प्राक्कलनों के प्रति ₹ 15.91 करोड़ का अधिक व्यय ड्रेजरों के परिनियोजन में निरंतर बदलावों के कारण हुआ था। इसके अलावा, अपेक्षित क्षमता के ड्रेजरों को लगाने में विफलता तथा ठेका के अनुसार गहराई बनाए न रखने के परिणामस्वरूप ₹ 12.80 करोड़ के निर्णीत हर्जानों तथा शास्ति का उदग्रहण हुआ।

- कांडला पोर्ट ट्रस्ट के साथ फरवरी 2013 से मार्च 2015 की अवधि के लिए किए गए ड्रेजिंग ठेका के संदर्भ में संचित कार्य की मात्रा को न हटाने के कारण ₹ 27.80 करोड़ की शास्ति का भुगतान किया गया था।

- संविधिक प्रमाणपत्रों के वैधीकरण मे विलंब तथा सूखी गोदी स्लाट की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ड्रेजरों की सेलिंग के कारण ड्रेजरों को खाली रखना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.31 करोड़ के राजस्व अर्जित करने का अवसर नहीं मिला।

- फ्लैग स्टेट निरीक्षण (एफएसआई) को बुलाने से पूर्व डीसीआई की त्रुटियों को पहचानने में विफलता के परिणामस्वरूप ड्रेज XI, 23 दिनों तक रूका रहा तथा ₹ 5.85 करोड़ के राजस्व हानि हुई थी। **(पैरा 14.1)**